

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 667/22 धारा 379/511 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.07.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी चौ० बिजेन्द्र सिंह मुनीम MBF भट्टा सरूरपुर पुत्र श्री राज सिंह निवासी ग्राम सुन्हैड़ा थाना खेकड़ा ने सूचना दी कि 1.दिनेश शर्मा पुत्र ईश्वर 2.गोविन्द पुत्र रणपाल व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी भैंस चुराने की कोशिश की गई । अभियुक्त दिनेश शर्मा को चोरी करते समय वादी व जनता के



व्यक्तियों द्वारा पकड़ कर थाने लाया गया। थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 667/22 धारा 379/511 भादवि पंजिकृत किया गया कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 667/22 धारा 379/511 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.दिनेश शर्मा पुत्र ईश्वर निवासी पवरसा जनपद सोनीपत हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.का० 184 अजय कुमार । 2.का० 889 रविकान्त ।

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 87/2022 धारा 323/506/377/34 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 87/2022 धारा 323/506/377/34 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.जिले सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री जनार्दन प्रसाद ।

2-का0 745 गुलवीर सिंह ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक – 02.07.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 196/22 धारा 452/323/504/354/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 196/22 धारा 452/323/354/504/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-महकसिंह पुत्र विजयसिंह उर्फ बिजेसिंह निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-. का0 501 राजसिंह थाना छपरौली ।
- 2- **PC** श्री सचिन पंवार के हमराह डेढ सैक्शन पीएसी ।

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अवैध मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-पंकज पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी नंगला हृदय लाईनपार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
हाल निवासी वीडियो आफिस गैस कालोनी थाना छावला नई दिल्ली ।
- 2-ओमेन्द्र पुत्र गेंदाराम निवासी खसोरा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई ।
- 3-वेदराम पुत्र रामवरन निवासी खसोरा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई ।

बरामदगी का विवरण-

- 12 किलोग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मौहम्मद आसिफ ।
- 2- है0का0 377 सुरेन्द्रपाल सिंह ।
- 3- का0 24 तरुण कुमार ।
- 4- का0 1008 मिथुन यादव ।
- 5-का0 83 सतेन्द्र गिरि ।

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 205/22 धारा 302/120बी/201/34
भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13/6/2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री सुनील तवरं पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी पट्टी देशवाल कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि सोनिया पत्नी सुनील उर्फ सुस्सा निवासी कस्बा अग्रवाल मण्डी टटीरी ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर उसके छोटे भाई विककी तवरं उम्र करीब 40 वर्ष की हत्या कर दी व शव को इस्तकार पुत्र गुलफाम निवासी गांव डोला थाना सिंघावली अहीर के खेत में छिपा दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 205/22 धारा 302/201/34/120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 205/22 धारा 302/201/34/120बी भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पुर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कपिल पुत्र शीशपाल निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त कपिल का आपराधिक इतिहास -

1-मु०अ०सं० 600/12 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु०अ०सं० 540/16 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

- 3-मु0अ0स0 737/16 धारा 60/72 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4-मु0अ0स0 1095/16 धारा 60/72 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
5-मु0अ0स0 1266/18 धारा 63/72 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
6-मु0अ0स0 680/12 धारा 138 विधुत अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
7-मु0अ0स0 26/21 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
8-मु0अ0स0 205/22 धारा 302/120बी/201/34 भादवि सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
9-मु0अ0स0 230/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुटभेड) सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 301 हरिओम सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.का0 467 टिकू अधाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4.का0 173 सिंघराज नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनाँक 02.07.2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/2022 धारा 363 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/2022 धारा 363 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-प्रेम सिंह पुत्र धनसिंह निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री मनीष कुमार ।
- 2-का0 1044 शायद अली ।
- 3- म0का0 773 श्वेता चौहान ।

प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 02.07.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 507/22 धारा 354/504/506/376 भादवि व 67ए आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 507/22 धारा 354/504/506/376 भादवि व 67ए आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-इसरार पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला आर्य नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक क्राईम श्री रामनिवास थाना बडौत ।
- 2- है0का0 165 कुलदीप भाटी ।
- 3- हो0गा0 233 वीरपाल ।